तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6477/2005/भरतपुर</u>** **किशन व अन्य बनाम निर्भय व अन्य**	
25-11-19	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री वैभव पारीक अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u> <u>दिनांक :</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 29–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक कलेकटर एवं उपखण्ड अधिकारी बैर के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या व प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक नियमित वाद प्रस्तुत करते हुये उसके साथ अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 15–9–2004 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–11–05 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक उभय पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिये पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 को सहकाश्तकार मान लिया जबकि उसका जमाबन्दी व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6477/2005/भरतपुर</u>** **किशन व अन्य बनाम निर्भय व अन्य**	
	राजस्व रेकार्ड में कहीं नाम दर्ज नहीं है,इसलिये उसे सहकाश्तकार नहीं माना जा सकता है। उक्त आराजी के बाबत एक इकरारनामा दिनांक 16–6–2004 को कर दिया था कब्जा भी प्रार्थीगण को सम्भला दिया था किन्तु सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से रजिस्ट्री नहीं हो सकी। जिसका नाजायज फायदा अप्रार्थी को नहीं दिया जा सकता है। इसलिये अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। 5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। पक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहकाश्तकार हैं यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजी खुर्द बुर्द कर दी जाती है तो पक्षकारों के मध्य वाद वाहुल्यता बढेगी इसलिये अपीलीय न्यायालय ने मौके व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। निगरानी खारिज योग्य है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है एवं कोटीनेन्सी की है। दौराने वाद यदि कोटीनेन्सी की आराजी को किसी पक्षकार द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद वाहुल्यता बढेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति कायम रखने से किसी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि की हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की हो। 8– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6477/2005/भरतपुर</u>** **किशन व अन्य बनाम निर्भय व अन्य**	
	जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	